सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2023/225 दर्ज तिथिः–27.07.2023

1. धर्माराम पुत्र आईदानराम
   जाति जाट निवासी धोलानाडा तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोखड़ा जिला बाड़मेर
2. ग्राम पंचायत धोलानाडा पंचायत समिति आडेल जरिये सरपंच

..............अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री डालुराम
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–17.01.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि
   - कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 441/12/07.7700 मौजा धोलानाडा तहसील नोखड़ा प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी आराजी एकल चक में नहीं होकर गै0मु0 गोवा खसरा संख्या 406/13 द्वारा दो भागों में विभक्त होती है।
   - कि प्रार्थी की उक्त आराजी के गै0मु0 गोवा से पश्चिम दिशा में रकबा 3.076 है0 व पूर्व दिशा में रकबा 4.6944 है0 अवस्थित है।
   - कि पूर्व में चल रहे गै0मु0 गोवा के स्थान पर धोलानाडा फांटा से मंगले की बेरी जाने वाली सड़क बनी हुई है। खसरा नम्बर 406/13 वक्त सैंटलमेंट से ही प्रार्थी के खसरो में से निकलता है। उसी स्थान पर ही सड़क का निर्माण किया गया है परन्तु सेटलमेंटकर्मियों की भूल से गोवे की तरमीम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:21:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के खसरा नम्बर 441/12 से पूर्व दिशा में कर दिया गया है। जिससे मौके व राजस्व नक्शा में भिन्नता आ गई है। इस कारण उक्त आराजी के मौके व रिकॉर्ड की स्थिति में अंतर आ रहा है। अतः उक्त आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के अनुसार किये जाने का निवेदन है।

2. प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू0अ0/2024/1855 दिनांक 12.12.2024 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई। तत्पश्चात् प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रकरण में सर्वप्रथम हाल राजस्व नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

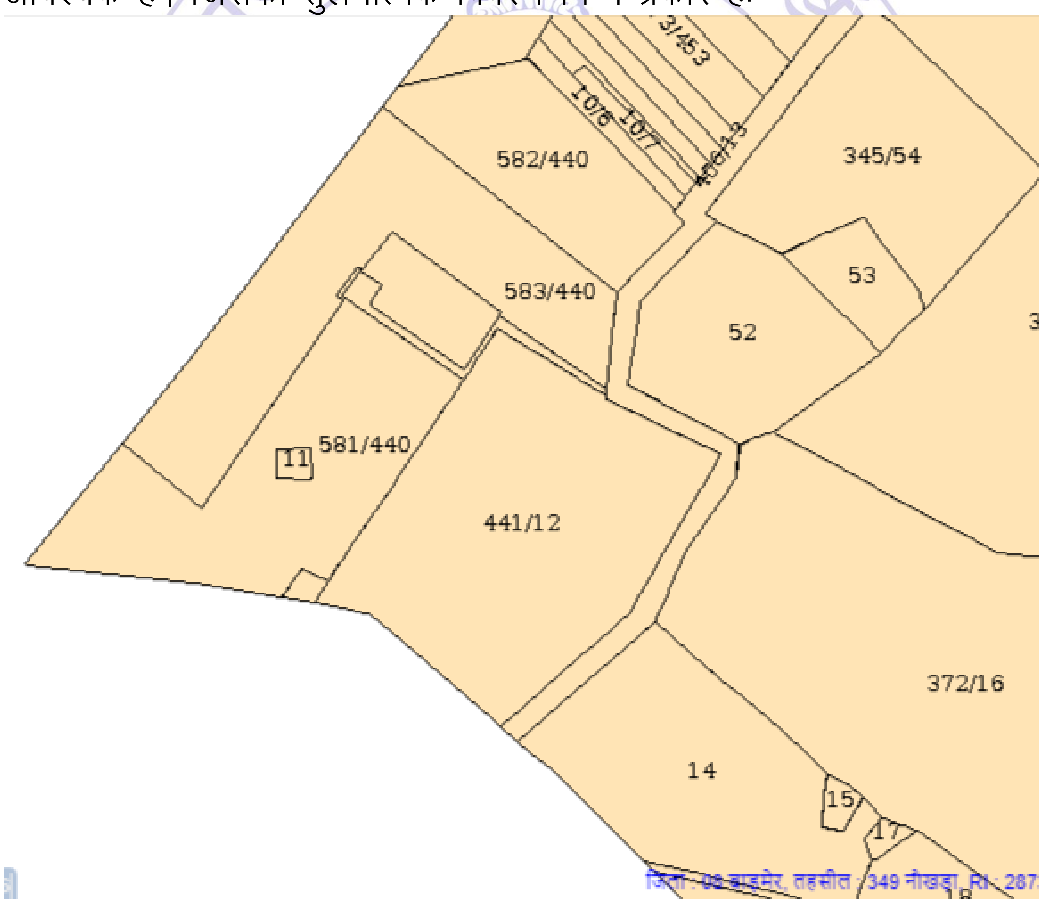

6. हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू0अ0/2024/1855 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू0अ0/2024/1855 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:21:09 IST
Reason: SelfAttested

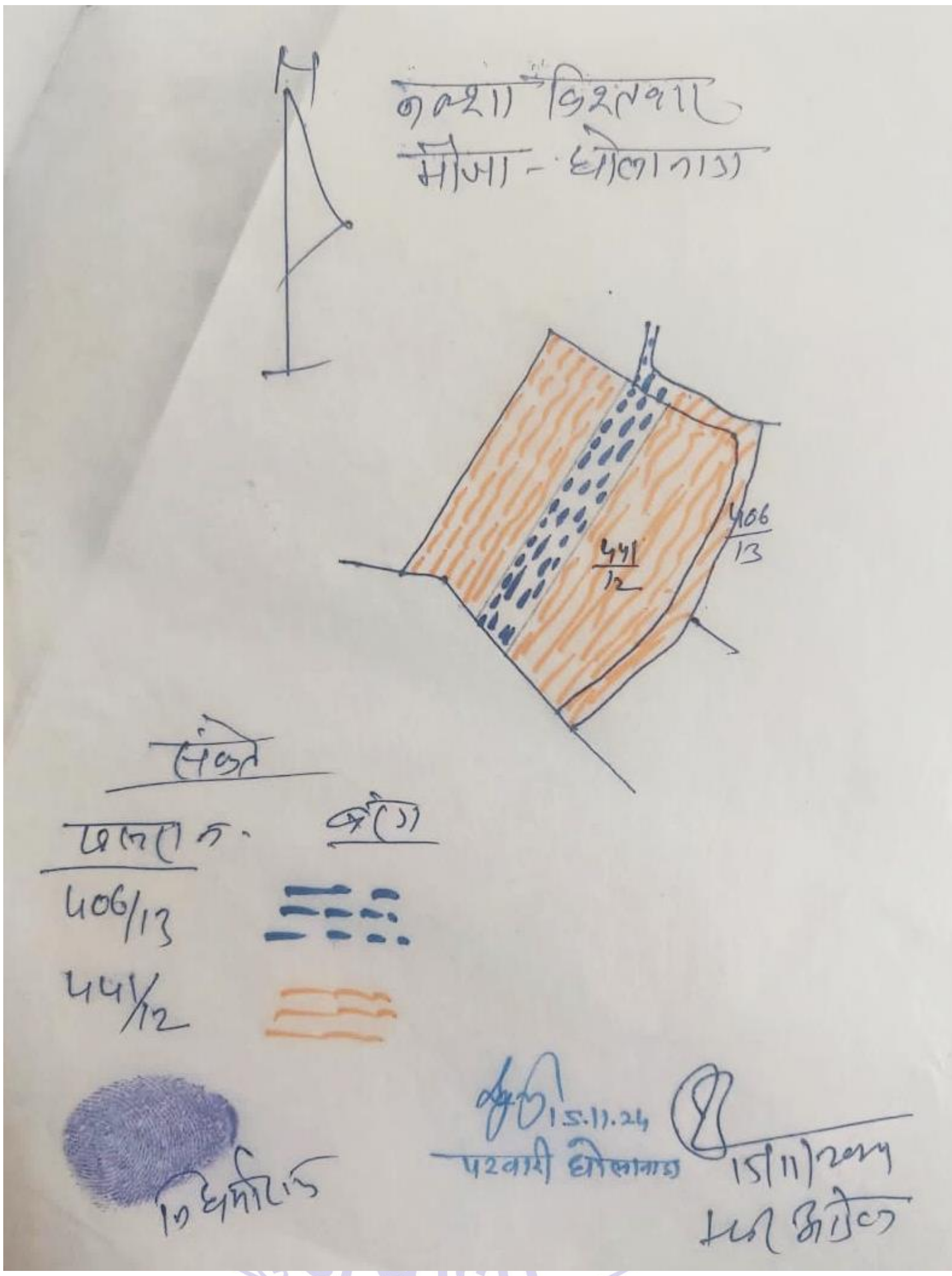

7. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / भू0अ0 / 2024 / 1855 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण इस प्रकार हैः–
    1. खसरा संख्या 406 / 13 किस्म गै.मु. गोवा ग्राम धोलानाडा की तरमीम मौके पर चालू सड़क अनुसार राजस्व नक्शा में अंकित नहीं है। मौके पर चालू सड़क संलग्न नक्शें में बरंग लाल स्थान पर स्थित है।
    2. ग्राम धोलानाडा खसरा संख्या 406 / 13 की तरमीम मौके पर चालू सड़क अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है।
    3. खसरा संख्या 406 / 13 की मौका स्थिति संलग्न नक्शा बरंग दर्शाया गया है व खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:21:09 IST
Reason: SelfAttested

441 / 12 की स्थिति रकबा दो भागों में विभाजित होने से निम्नानुसार है–

ग्राम	खसरा संख्या	रकबा है0	बरंग
धोलानाडा	406 / 13	–	नीला
धोलानाडा	441 / 12	2.8328	केसरिया
	441 / 12	4.9372	
योग		7.7700	

8. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / भू0अ0 / 2024 / 1855 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / भू0अ0 / 2024 / 1855 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रस्तावित तरमीम से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का खातेदारी रकबा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। केवल मौके के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक / भू0अ0 / 2024 / 1855 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार रकबा दुरूस्ती किया जाकर तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोखड़ा को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू0अ0/2024/1855 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार उक्त आराजी की रकबा दुरूस्ती व तत्पश्चात् रकबा बरारी व मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार नोखड़ा को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 17.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:21:09 IST
Reason: SelfAttested